सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 45/प्रा0पत्र/2024 दायरा दिनांक :–14.03.2024

GCMS ID–2024/201

उनवान

1. जोधराजसिंह आ0 भगवाती सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थी

बनाम

1. देवलाल आ0 मांगीलाल जाति रेगर निवासी रेगरो का बरडा खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. लालाराम आ0 मांगीलाल जाति रेगर निवासी रेगरो का बरडा खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री शम्भूदयाल शर्मा

वकील अप्रार्थीगण :– एकतरफा

आदेश

दिनांक : 30.04.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 508, 509, 510, 511, 513, 515, 516, 517, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 535, 579/519 कुल किता 21 कुल रकबा 13.1119 हैक्टेयर वाके ग्राम खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। भूमि की जमाबंदी संलग्न है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 530 रकबा 1.3355 हैक्टेयर पर काश्त नहीं होती है। भूमि कृषि उपज रखने, चारा रखने, जानवर बांधन आदि के काम आती है। उक्त भूमि पर भूसा भरने के लिए बसेरा बना रखा था जो वर्तमान में नष्ट हो चुका है व मौके पर जानवरों की टाप बना रखी है। खातेदारी भूमि की फसल कटने के बाद फसल, जुवार, कडली आदि को इसी भूमि पर ही रखते है तथा कृषि उपकरण भी रखते है इस प्रकार प्रार्थी उक्त भूमि का उपयोग करता आ रहा है। उक्त भूमि खसरा संख्या 530 की मौके पर कोई सीमाबंदी निश्चित नहीं है। प्रार्थी की भूमि के समीपस्त पडोसी देवलाल व लालाराम, सीमाबंदी के अभाव में प्रार्थी की भूमि पर अतिचार करते है। और मना करने पर कहते है कि आप अपनी भूमि की पत्थरगढी करालो, आपकी भूमि की पत्थरगढी के उपरांत यदि आपकी भूमि हमारी तरफ निकलती है तो हम छोड देंगे और आप पत्थगरढी के अनुसार तारपेंसिंग करवा

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

लेना। प्रार्थी ने पूर्व में अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु कार्यवाही पेश की थी लेकिन अप्रार्थीगण ने कहा कि पत्थरगढी हमारी मौजूदगी में कराओं, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के समक्ष पत्थरगढी करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कराने का पूर्ण हक अधिकार है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी के पडौसी होने से व सीमा ज्ञान का विरोध करने से प्रार्थी अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी ने तहसीलदार हिण्डोली से दिनांक 15.02.2024 को प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करने का निवेदन किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय के आदेश के बिना पत्थरगढी करने से इंकार कर दिया। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है। लेण्ड रिकॉर्ड आफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा संख्या 530 रकबा 1.3355 हैक्टेयर वाके ग्राम खेरखटा तहसील हिण्डोली की पत्थरगढी अप्रार्थीगण की उपस्थिति में करने के आदेश प्रदान की कृपा करें। प्रार्थी नियमानुसार शुल्क जमा करने को तैयार है।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जरिए नोटिस तलब किए गए। अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 की ओर से बावजूद तामिलों के जबाव पेश नहीं किए जाने से जबाव बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार हिण्डोली से विवादित भूमि बाबत जॉच रिपोर्ट पत्रांकः–राजस्व/25/771 दिनांक 08.04.2025 से पेश कर अंकन किया है कि विवादित भूमि खाता संख्या 31 प्रार्थी के खातेदारी में है जिस पर प्रार्थी का पूर्णतया कब्जा नहीं है। जिस पर मुस्तकिल निशान से सीमाज्ञान करने पर बीच में मकान व बाडे आ रहे है। जिस कारण जरीब चलाई जाकर सीमाज्ञान किया जाना संभव नहीं है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहाँ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया विवादित भूमियॉ प्रार्थी की खातेदारी भूमियॉ है। खसरा संख्या 530 रकबा 1.3355 हैक्टेयर जो कि प्रार्थी की भूमि है, पर सीमाबंदी के संबंध में कोई स्थाई निशान नहीं होने से अप्रार्थीगण पडौसी काश्तकार होने से आये दिन प्रार्थी की भूमियों पर सीमा संबंध में विवाद करते रहते है। जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बनी रहती

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email: sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमियों की पत्थरगढी किए जाने के आदेश फरमाये जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम खेरखटा पटवार मण्डल खेरखटा तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 31 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है, अर्थात् प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 31 के खसरा संख्या 530 रकबा 1.3355 हैक्टेयर वाके ग्राम खेरखटा पटवार मण्डल खेरखटा तहसील हिण्डोली जो कि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थी से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थी व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/04/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446